प्रैस नोट

चालू वित्तीय वर्ष में रू0 10,017.00 करोड़ के अनुमोदित बजट को रू0 7,208.00 करोड़ पुनरीक्षित किया गया है । व्यय में कमी का मुख्य कारण भू-अधिग्रहण मद में कम व्यय होना, मैट्रो परियोजना का चालू वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ न हो पाना तथा आयकर, सेवा कर के मद में लक्ष्य से कम भुगतान करना है । आगामी वित्तीय वर्ष हेतु रू0 9,212.00 करोड़ का व्यय निर्धारित किया गया है, जिसमें मुख्यतः भू-अधिग्रहण हेतु रू0 1750.00 करोड़, विकास एवं निर्माण कार्यो हेतु रू0 5,009.00 करोड़ जिसमें मुख्य रूप से मैट्रो परियोजना हेतु रू0 1500.00 करोड़, विभिन्न सैक्टरों में 33/11, 11/04 के0वी0ए0 के उप संस्थान एवं 220 तथा 400 के0वी0 के बिजली घरों के निर्माण हेतु रू0 500.00 करोड़, मल्टी लेवल कार पार्किंग हेतु रू0 200.00 करोड़,, विभिन्न चौराहों पर अण्डरपास, फ्लाई ओवर एवं ऐलीवेटेड रोड के निर्माण हेतु रू0 200.00 करोड़, सड़कों के सदृढ़ीकरण हेतु रू0 300.00 करोड़, ग्राम विकास एवं शहीद स्मारक के निर्माण हेतु रू0 250.00 करोड़, सैक्टर-39 में नये जिला चिकित्सालय के निर्माण हेतु रू0 100.00 करोड़, सैक्टर-30 स्थित उच्च स्तरीय बाल रोग चिकित्सा संस्थान हेतु रू0 50.00 करोड़ यमुना नदी पर ओखला बैराज के समानान्तर पुल के निर्माण हेतु रू0 50.0 करोड़, सैक्टर-144 मे अन्तर्राज्य बस अड्डे के निर्माण हेतु रू0 50.00 करोड़, गंगा जल की आपूर्ति हेतु रू0 100.00 करोड़, हिण्डन एवं यमुना डूब क्षेत्र में हरित क्षेत्र के विकास हेतु रू0 100.00 करोड़, झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास योजना हेतु रू0 50.00 करोड़, नौएडा-ग्रेटर नौएडा एक्सप्रैस-वे पर विकास अनुरक्षण एवं ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम की स्थापना हेतु रू0 85.00 करोड़ एवं सैक्टर-21ए स्थित स्टेडियम में बहुउद्देश्य क्रीडा स्थल के निर्माण हेतु रू0 50.00 करोड़ प्रावधानित किये गये हैं । इसके अतिरिक्त अर्बन एवं विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं हेतु रू0 1100.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

आवासीय भूखण्ड विभाग से सम्बन्धित प्रेस नोट

ऐसे अनेक आवासीय भूखण्ड संज्ञानित किये गये है जिनमें एकल अधिभोग योग्य इकाई का निर्माण कर भवन अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है तथा निर्मित भवन बन्द पड़े हैं। उनमें जंगली घास व झाड़ियाँ उग आई है। आसपास के निवासी भी ऐसे भूखण्डों पर अपने घरों के कूड़े का ढेर लगा देते हैं। ऐसे भूखण्ड असामाजिक तत्वों (कूड़ा बीनने वाले, चोर उचक्के, अनाधिकृत कबाड़ी एवं अवैध रूप से उक्त भूखण्डों पर कब्जा करने वाले), को भी आकर्षित करते हैं। वर्तमान अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु भूतल पर 50% निर्माण करना अनिवार्य है। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी प्रकरणों को चिन्हित कर उन्हें पूर्व में जारी अधिभोग प्रमाण पत्र पर पुनर्विचार करते हुए आवंटियों को नोटिस दिया जाये कि वे अनिवार्य भवन निर्माण पूर्ण कर पुनः अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

प्रेस विज्ञप्ति

400/220 के0वी0 उपकेन्द्र, पाली, ग्रेटर नोएडा पर वर्तमान में कुल क्षमता 3x315 MVA =945 MVA है। ग्रीष्म ऋतु में बढ़ते विद्युत भार के दृष्टिगत नोएडा/ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में अनावरत विद्युत आपूर्ति हेतु प्रमुख सचिव उर्जा व अध्यक्ष, उ0प्र0पा0 कॉरपोरेशन लिमिटेड के मध्य आहुत बैठक में लिये गये निर्णय के कम में नोएडा/ग्रेटर नोएडा के सहयोग से 500 एम0वी0ए0 क्षमता का अतिरिक्त परिवर्तक स्थापित किया जा रहा है। इस पर कुल व्यय रु. 2944.50 लाख होना अनुमानित है। प्रशासनिक निर्णय व आज सम्पन्न बोर्ड बैठक में संचालक मण्डल के द्वारा दिये अनुमोदन के कम में इसका 2/3 भुगतान रु0 1962.00 लाख नोएडा के द्वारा किया जायेगा। इससे 400 के0वी0 उपकेन्द्र पाली पर 400 MW अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के उद्यमियों/निवासियों की सुविधा हेतु सुनिश्चित की जा सकेगी।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (वी)

प्राधिकरण बोर्ड की 181वीं बैठक दिनांक 12.02.2014 का प्रेस नोट

1. **प्रस्ताव** - सेक्टर - 150 में क्रीड़ा स्थल के विकास के सम्बन्ध में ।

प्रेस नोट - सेक्टर - 150 में विकसित होने वाले भूमि पर नोएडा की जनता को स्पोर्ट्स - सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 150.00 एकड़ भूमि पर क्रीड़ा स्थल विकसित किया जायेगा, जिसमें अन्तर्गत होंगे - क्रिकेटग्राउंड, फुटबाल, टेनिस कोर्ट, स्केटिंग प्लाजा, ओपन एयर थियेटर ।

2. **प्रस्ताव** - सेक्टर - 144 में लगभग 10 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग औद्योगिक से 5% आबादी योजना के अन्तर्गत देय भूमि हेतु सेक्टर - 73 में स्थित आवासीय उपयोग की भूमि से पारस्परिकता (Interchange) के आधार पर परिवर्तित करने हेतु प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर समिति की संस्तुति के सम्बन्ध में ।

प्रेस नोट - किसानों को देय 5% आबादी भूखण्डों के आवंटन हेतु सेक्टर - 144 में औद्योगिक से आवासीय में इन्टरचेंज के आधार पर भू-उपयोग परिवर्तन पर प्राप्त आपत्ति/सुझावों का निस्तारण कर दिया गया है । इसे अब शासन को अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा ।

3. **प्रस्ताव** - नोएडा महायोजना - 2031 के अनुरूप मिश्रित भू-उपयोग पर प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर समिति की संस्तुति के सम्बन्ध में ।

प्रेस नोट - प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर समिति की संस्तुति के आधार पर पूर्व के प्रस्ताव में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न प्रस्ताव अनुमोदित किया गया-

- आवासीय सेक्टरों में 24.0 मी0 तथा इससे चौड़ी सड़क पर गेस्ट हाउस तथा बैंक अनुमन्य की गयी ।
- औद्योगिक सेक्टरों में 24.0 मी0 तथा इससे चौड़ी सड़क पर ऑटो शोरूम (Auto Showroom) उपकरणों एवं अन्य वस्तुओं के प्रदर्शन हेतु विक्रय/आर्ट गैलरी भी अनुमन्य की गयी ।
- मिश्रित उपयोग प्रभाव शुल्क - आवासीय भूखण्ड पर सम्बन्धित सेक्टर की प्रचलित आवासीय तथा आरक्षित वाणिज्यिक आवंटन दर के अन्तर का 25% एक मुश्त शुल्क के रूप में प्राधिकरण में जमा करनी होगी तथा औद्योगिक भूखण्डों पर सम्बन्धित औद्योगिक सेक्टर की प्रचलित औद्योगिक तथा आरक्षित वाणिज्यिक आवंटन दर के अन्तर का 25% एक मुश्त शुल्क के रूप में जमा करनी होगी ।